न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

न0 155/2022 तारीखरजू:– 6/12/22

उनवान:– धर्मसिंह बनाम प्रताप वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम
6/12/22	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री छुट्टनलाल मीना एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए सायल व गैरसायलान को दिनांक 05.01.2023 तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी ख0न0 220/0.22, 385/0.12, 386/0.29, 413/0.08, 458/0.32, 460/0.02, 463/0.01, 472/0.04, 483/0.01, 484/0.50, 485/0.28, 487/0.23, 488/0.17, 491/0.03, 515/0.12, 592/0.24 है0 कुल किता 16 कुल रकबा 2.58 है0 ग्राम **सहजनपुर** तहसील टोडाभीम मे आगामी तारीख पेशी तक मौके की यथास्थिति बनाये रखें। 451-61 6/12/22
	प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वत: निष्प्रभावी मानी जावेगी। स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय एकपक्षीय आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल कर उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 05.01.2023 को पेश हो।
	(दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:50:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला–करौली

फर्द अहकाम

1/4/23	वादी वकील/वादी ... अन्य पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी ...चुनाव कार्य में व्यस्त है। पत्रावली गतानुसार दिनांक......15/1/24 को पेश हो।
15/1/24	अवकाश होने के कारण
16/1/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उप०। वास्ते तलबी नोटिस एंव जबाब पेश करने दिनांक 20.2.24 को पेश हो।
20/2/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उप०। वास्ते तलबी नोटिस एंव जबाब पेश करने दिनांक 22.3.24 को पेश हो।
22/3/24	वादी वकील/वकील अन्य पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी ...होली ...चुनाव मीटिंग में व्यस्त है। पत्रावली गतानुसार दिनांक...26.4.24 ... हो।
26/4/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थी न० 3, 4 की और से कोई अधिवक्ता व अप्रार्थी उपस्थित नही हुआ। बार-2 आवाज दिलाई गयी। कोई उप० नही हुआ। इसलिए उक्त के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है एंव शेष अप्रार्थी न० 1, 2, 5 लगा० 11 के नोटिस पुन: पेश करने के लिए प्रार्थी वकील को हिदायत दी गई। वास्ते तलबी दिनांक 13.5.24 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:50:50 IST
Reason: SelfAttested